(147)

Rs. 5 5 रु. Rs. 5 INDIA भारत INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी

निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/0032

रामकिशन पिता रमेशचन्द्र
निवासी ग्राम जलोदिया तहसील बड़नगर जिला
उज्जैन म.प्र. **— आवेदक**

एम. आर. यादव
दिनांक 30-11-2017
30.11.17
उज्जैन

विरुद्ध

मंजु शर्मा पति गोपाल,
निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बिगोद
जिला कोटा राजस्थान

— अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

उज्जैन कैम्प पर प्राप्त 20/12/17

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर के प्र.क्र. 94/अपील/2015–16 में आदेश दिनांक 18–09–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि नकल के दिन मुजरा करने पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अनावेदक ने तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए सावित्रीबाई पति हीरालाल के सामलाती खाते की कृषि भुमि कुल किता 33 रकबा 24.77 हेक्टर खाते मेंसे सावित्रीबाई के हिस्से की भूमि पर नामांतरण चाहा को निरस्त कर दिया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें आवेदक द्वारा यह आपत्ति की गयी कि सम्पूर्ण खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है।

3. यह कि, नामांतरण नियम 27 व 32 के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को व्यक्तिगत सूचना दी जाना आवश्यक है परन्तु अनावेदक ने किसी भी सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया ऐसी स्थिति में अपील प्रचलन योग्य

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/0032

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	